भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4688

जिसका उत्तर 21.08.2025 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

†4688. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आगामी वित्तीय वर्ष में आंध्र प्रदेश हेतु कोई नई राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाएं प्रस्तावित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश में कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए मौजूदा राजमार्गों के विस्तार या उन्नयन की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारे जैसे औद्योगिक गलियारों के विकास या विस्तार की योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) आंध्र प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) और औद्योगिक केंद्रों में सड़क अवसंरचना में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश में आगामी परियोजनाओं में सौर ऊर्जा से प्रकाशयुक्त राजमार्गों या वृक्ष-पंक्तिबद्ध सड़कों जैसी हरित पहलों को शामिल करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार आंध्र प्रदेश में सड़क निर्माण परियोजनाओं में पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए किस प्रकार योजना बना रही है; और

(छ) क्या आंध्र प्रदेश में नदी क्रॉसिंग, पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों या भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में पुलों या सुरंगों के निर्माण के लिए नए प्रस्ताव हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) का विकास और रखरखाव एक सतत प्रक्रिया है और तदनुसार, तकनीकी आवश्यकताओं, यातायात स्तर, संपर्कता की आवश्यकताओं, पारस्परिक प्राथमिकता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) के साथ तालमेल को पूरा करने के बाद समय-समय पर राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य शुरू किए जाते हैं। मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए 457 किलोमीटर लंबाई के 28 कार्यों के लिए 12,152 करोड़ रुपये के परिव्यय पर वार्षिक योजना 2025-26 में मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 2025-26 के दौरान 26,453 करोड़ रुपये की लागत से 383 किलोमीटर की दूरी को कवर करने वाले 3 कार्यों की योजना बनाई गई है।

(ग) और (घ) औद्योगिक गलियारों का विकास या विस्तार उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के द्वारा किया जाता है, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तत्वावधान में है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय औद्योगिक केंद्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों के माध्यम से कनेक्टिविटि मुहैया कराता है। विशाखापत्तनम-चेन्नई औद्योगिक गलियारा सहित आंध्र प्रदेश राज्य में वर्ष 2025-26 के दौरान औद्योगिक गलियारों के निकट प्रगति पर या योजनाबद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ङ) जी हाँ। हरित राजमार्ग (वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण, सौंदर्यीकरण और अनुरक्षण) नीति, 2015, राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों को हरित बनाने के उद्देश्य से, आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू होती है। राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्गाधिकार के समानांतर वृक्षारोपण उक्त नीति के अनुसार किया जाता है ।

(च) सरकार के इस मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश राज्य सहित देश भर में सड़क निर्माण परियोजनाओं के लिए पर्यावरण-अनुकूल, हरित एवं टिकाऊ सामग्रियों के साथ ही उन्नत निर्माण प्रथाओं और प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा दिया है। ऐसी विभिन्न सामग्रियां जैसे फ्लाई ऐश, स्लैग, निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट, लैंडफिल की निष्क्रिय सामग्रियाँ, अपशिष्ट प्लास्टिक, क्रम्ब रबर संशोधित बिटुमेन, पुनर्नवीनीकरण फुटपाथ सामग्री, भू-संश्लेषण (जूट एवं कॉयर), बांस क्रैश बैरियर, जैव-बिटुमेन, ढलान संरक्षण हेतु जैव-इंजीनियरिंग उपाय और भू-दानेदार ब्लास्ट फर्नेस स्लैग आदि का उपयोग विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में उपलब्धता और उपयोग की व्यवहार्यता के आधार पर किया जाता है।

(छ) पुलों का निर्माण आमतौर पर राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास और उन्नयन परियोजनाओं के हिस्से के रूप में किया जाता है। 2025-26 के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में किसी भी बड़ी एकल (स्टैंडअलोन) पुल परियोजना और सुरंग परियोजना की योजना नहीं है।

अनुबंध

"आंध्र प्रदेश में नई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं" के संबंध में श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी द्वारा पूछे गए दिनांक 21.08.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4688 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

आंध्र प्रदेश राज्य में औद्योगिक गलियारों के निकट 2025-26 के दौरान प्रगति पर/योजनाबद्ध राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का विवरण

क्रम सं.	गलियारे का नाम	परियोजना का नाम	कुल लंबाई (किमी)	कुल परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)	कुल वास्तविक प्रगति (% में)
1	चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (सीबीआईसी)	रामदासु कंद्रिका में एनएच-16 से कृष्णापट्टनम बंदरगाह तक समर्पित बंदरगाह सड़क को 6-लेन का बनाना (पैकेज -1)	18.975	341.36	73
		एनएच-516डब्ल्यू के चिलकारू क्रॉस रोड से टुरपु कनुपुरू तक 4-लेन का निर्माण और टुरपु कनुपुरु से पोर्ट साउथ गेट खंड तक 6-लेन का निर्माण (पैकेज-2)	36.06	909.47	36
		एनएच-516डब्ल्यू के थम्मिनापट्टनम से मोल्लूर खंड को 4 लेन का बनाना तथा एनएच-67 पर समर्पित बंदरगाह सड़क के विस्तार को 6 लेन का बनाना (पैकेज-3)	15.95	609.43	60
		एनएच-71 के नायडूपेटा-टुरपु कनुपुरु खंड को 6 लेन का बनाना (पैकेज-4)	34.881	1398.84	23

2	विजाग -चेन्नई औद्योगिक गलियारा (वीसीआईसी)	एनएच-40 का कडपा से रंगमपेटा क्रॉस सेक्शन जिसमें एनएच-40 से कोप्पर्थी औद्योगिक नोड तक एक स्पर का प्रावधान शामिल है	डीपीआर चरण में
3	हैदराबाद-बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा (एचबीआईसी)	एनएच-40 का कुरनूल-कडप्पा खंड जिसमें ओर्वाकल नोड को जोड़ने वाले एक स्पर का प्रावधान शामिल है	डीपीआर चरण में

*****